1123
10/11/2022

निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, पटना की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिनांक 20.10.2022 को कैमूर जिलान्तर्गत NH 319 A (मोहनियाँ– रामगढ़– चौसा– बक्सर तक) 0.00-30.660 कि. मी. तक पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु वृक्षों के पातन/ पुनर्स्थापन में प्रभावित होने वाले/ Transplant किये जाने वाले/ पातित किये जाने वाले वृक्षों का गणना पत्रक (Tree Protection) के करने में बाधक वृक्षों के विस्थापन/ पुनर्स्थापन/ पातन के संबंध में Online हुई बैठक का कार्यवाही:–

कैमूर जिलान्तर्गत NH 319 A (मोहनियाँ– रामगढ– चौसा– बक्सर तक) 0.00-30.660 कि. मी. तक पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु वृक्षों के पातन/ पुनर्स्थापन में प्रभावित होने वाले वृक्षों के स्थानान्तरण का प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्राप्त हुआ है। समर्पित प्रस्ताव के आलोक में वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर वन प्रमंडल, भभुआ द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या 03 सह पठित ज्ञापांक 673 दिनांक 01.09.2019 द्वारा गठित समिति से निर्णय कराने का अनुरोध किया गया है।

संलग्न प्रस्ताव में कैमूर जिलान्तर्गत NH 319 A (मोहनियाँ– रामगढ़– चौसा– बक्सार तक) 0.00-30.660 कि. मी. तक पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु वृक्षों के पातन/ पुनर्स्थापन में प्रभावित होने वाले कुल 4629 वृक्षों की गणना की गई है, जिसमें 3472 वृक्षों को स्थल पर ही बने रहने हेतु चिन्हित, 646 वृक्षों के पातन तथा 511 वृक्षों का पुनस्थापन का प्रस्ताव है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:–

Sl. No.	Location	Tree marked to be translocated	Trees marked to be felled	Trees marked left as it is	Total Trees
1	Right Side	230	315	1804	2349
2	Left Side	281	331	1668	2280
	Total:-	511	646	3472	4629

वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर वन प्रमंडल, भभुआ द्वारा समर्पित प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार करते हुए सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि :–

1. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 511 जीवित वृक्षों का पुनर्स्थापन स्वयं के व्यय पर चिन्हित स्थल पर किया जायेगा एवं अगले तीन वर्षों तक इसका रख–रखाव कार्य किया जायेगा।
2. पातित किये जाने वाले 646 वृक्षों के पुनर्स्थापन के फलस्वरूप जीवित रहने की संभावना नहीं है अतः इन 646 वृक्षों के पातन का निर्णय लिया गया।
3. पातित वृक्षों की क्षतिपूर्ति के एवज में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण (अधिनियम) 1980 के प्रावधानों के अनुरूप क्षतिपूरक राशि वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

- Forest Land and Non Government Land (वन भूमि एवं सरकारी गैर भूमि)

4. 3472 वृक्ष स्थल पर अपने पूर्व स्वरूप में बने रहेगें इन्हें पुनर्स्थापित / पातित नहीं किया जायेगा।

5. वन संरक्षण के इस प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा नियमानुसार NPV, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, वृक्षों के पुनर्स्थापन पर व्यय एवं काष्ठ हथालन की राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

उक्त निर्णय के साथ बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

(चंचल प्रकाशम)	(संजय प्रकाश)	(सुरेन्द्र सिंह)
वन प्रमंडल पदाधिकारी,	वन संरक्षक	निदेशक, पारि. एवं पर्या.
कैमूर वन प्रमंडल, भभुआ	वन्यप्राणी अंचल, पटना	

ज्ञापांकः– पारि. एवं पर्या. 01 स्था. (वन भूमि एवं सरकारी गैर भूमि) 11/19–1589 दिनांकः–07-11-2022

प्रतिलिपि– प्रयोक्ता एजेन्सी की अतिरिक्त प्रति के साथ वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर वन प्रमंडल, भभुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि पत्र की प्रति अपने स्तर से प्रयोक्ता एजेंसी को उपलब्ध करा देगें तथा प्रस्ताव की सभी कंडिकाओं पर अनुपालन उच्चस्तरों को उपलब्ध करायेगें।

निदेशक, पारि. एवं पर्या.

ज्ञापांकः– पारि. एवं पर्या. 01 स्था. (वन भूमि एवं सरकारी गैर भूमि) 11/19–1589 दिनांकः–07-11-2022

प्रतिलिपि– वन संरक्षक, वन्यप्राणी अंचल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पारि. एवं पर्या.

ज्ञापांकः– पारि. एवं पर्या. 01 स्था. (वन भूमि एवं सरकारी गैर भूमि) 11/19–1589 दिनांकः–07-11-2022

प्रतिलिपि– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पारि. एवं पर्या.